

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत मुकाम

..... बनाम

किरम मुकदमा नम्बर

G.C.M.S- 2022/267

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व
जो
तारीख

24/03/2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक ~~रज~~ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 09/04/25 को पेश हो।

09/04/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से पूर्व में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं जिसे अभिलेख पर लिया जाता है। प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 15.04.2025 को पेश हो।

15/04/2025

वास्ते आदेश पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में बहस वकील वादी पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावी व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील वादी की बहस पर संगौर मनन किया गया। चूंकि मुताबिक तहसीलदार वादी पुराने खसरा नम्बर 693 को यथावत रखना चाहता है जो उचित नहीं है। नवीन रास्ता कटानी होने से नवीन खसरा नम्बर सृजित हुये हैं जिसे एक खसरा नम्बर में तब्दील किया जाना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक
15.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में
सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी,

नीमकाथाना